फैसलाः चंडीगढ़ की मुख्य सड़कों पर स्पीड लिमिट अब 50 के बजाय 60 हुई

नोटिफिकेशन जारीः प्रशासन ने तीन कैटेगरी में तय की वाहनों की रफ्तार

मुख्य सड़कों पर स्पीड लिमिट 50 से बढ़ाकर 60 करने की सिफारिश

25 मार्च को भास्कर में छपी खबर।

सिटी रिपोर्टर | चंडीगढ़

चंडीगढ़ में एक जैसी सड़कों पर स्पीड लिमिट अब एक ही होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। नई स्पीड लिमिट को लेकर अब डिस्पले बोर्ड भी लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स की एडवाइजरी काउंसिल की सब कमेटी की मीटिंग में नई स्पीड लिमिट को लेकर सिफारिशें तय की गई थी। सीनियर अफसरों की मंजूरी के बाद अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने स्पीड लिमिट को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं।

• किस सड़क पर कितनी होगी स्पीड लिमिट...

1. जिन सड़कों पर डिवाइडर हैं (शहर की सभी प्रमुख सड़कें)

- फोर व्हीलर और पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां, जो ड्राइवर के साथ 8 सीट तक की हैं, उनके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा
- मीडियम और हेवी पैसेंजर्स व्हीकल्स के लिए 50 किलोमीटर प्रतिघंटा
- कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा
- मोटर साइकिल और थ्री व्हीलर्स के लिए 45 किलोमीटर घंटा

2. सिंगल कैरेज वे या बिना डिवाइडर वाली सड़कें

- फोर व्हीलर और पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जो ड्राइवर के साथ 8 सीट तक की हों (लाइट मोटर व्हीकल्स, एम1 कैटेगरी) के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा
- मीडियम और हेवी पैसेंजर्स व्हीकल्स के लिए 40 किलोमीटर प्रतिघंटा
- कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा
- मोटर साइकिल और थ्री व्हीलर्स के लिए 40 किलोमीटर घंटा

3. सेक्टर्स की इंटरनल रोड... फोर व्हीलर और पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां जो ड्राइवर के साथ 8 सीट तक की हों (लाइट मोटर व्हीकल्स, एम1 कैटेगरी) के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा

- मीडियम और हेवी पैसेंजर्स व्हीकल्स के लिए 40 किलोमीटर प्रतिघंटा
- कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा
- मोटर साइकिल और थ्री व्हीलर्स के लिए 40 किलोमीटर घंटा